वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, आज, अमर उजाला, जनसंदेश टाइम्स, जनवार्ता, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन, तरुणमित्र न्यूज़," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 07.07.2024

बाउंड्री तोड़ने के साथ लगाया साइन बोर्ड

मुगलसराय वार्ड के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि मुगलसराय मौजा-करवत में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए 18 बीघा में अवैध प्लाटिंग हो रही थी। बाउंड्री तोड़ने के साथ वहां साइन बोर्ड लगा दिया है कि वीडीए से ले-आउट पास नहीं है। सिकरौल वार्ड के अवर अभियंता अतुल मिश्रा ने बताया कि लालपुर आवासीय योजना प्रथम के सामने डा. शिवेष जायसवाल अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

पांच अवैध निर्माण सील, 26 बीघा पर गरजा बुलडोजर

नगवां, सिकरौल और मुगलसराय वार्ड में विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शनिवार को अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगवां और मुगलसराय वार्ड में अवैध प्लाटिंग पर वीडीए का बुलडोजर गरजा। वीडीए ने कालोनाइजर के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसी प्रकार नगवां और सिकरौल वार्ड में अवैध निर्माण को सील किया गया। उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को हिदायत देते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। संलिप्तता मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि सीर गोवर्धन में वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए अशोक सिंह व कन्हैया यादव वगैरह आठ बीघा में प्लाटिंग कर रहे थे। बुलडोजर से अवैध बाउंड्री को तोड़ने के साथ उनके खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नगवां वार्ड के अवर अभियंता आरके सिंह ने बताया कि गायत्री नगर में जगनारायण व मारुति नगर में राजनाथ अवैध निर्माण कर रहे थे। मारुति नगर कालोनी में ही वीरेंद्र यादव छत की शटरिंग कर रहे थे। सीमा सिंह दूसरे मंजिल पर निर्माण कर रहीं थीं। सभी भवनों को सील करने के साथ लंका पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 07.07.2024

विकास प्राधिकरण ने कई अवैध निर्माण सील किये

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर शनिवार को प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण सील किया। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा ने बताया कि वार्ड-सिकरौल की देवपुरम कालोनी मे अवैध निर्माण कराया जा रहा था। नोटिस के बावजूद काम बंद नहीं हुआ। गया। वहीं, मुगलसराय और नगवां के सीरगोवार्धन में अवैध निर्माण ध्वस्त कराए गए।

आज–दि0 07.07.2024

लालपुर में भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शनिवार को सिकरौल वार्ड में डाक्टर शिवेष जायसवाल ने भवन के निर्माण में छत डालने का काम कर रहे थे। जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय अभियंता मौके पर पहुंचे और उन्होंने भवन निर्माण के लिये अनुमति मांगी जिसे भवन स्वामी ने दिखाने से इनकार कर दिया। क्षेत्रीय अवर अभियंता ने शिकायत की पुष्टि की और भवन स्वामी को निर्माण कार्य तत्काल रोकने की चेतावनी भी दी। जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अतुल मिश्र के अलावा क्षेत्रीय पुलिस की देखरेख में भवन को सीज कर दिया और संबंधित थाने की अभीरक्षा में उसे सौंप दिया गया। संबंधित विषय में जोनल अधिकारी ने भवन स्वामी को स्पष्ट रूप से बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृति से भवन निर्माण होगा तो कानूनी काररवाई होगी।

अमर उजाला–दि0 07.07.2024

ढहाए गए अवैध निर्माण, नोटिस भी जारी

वीडीए की लगातार हो रही कार्रवाई से ठेकेदारों ने बंद कराया काम

वाराणसी। अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शनिवार को अलग-अलग वार्डों में अवैध निर्माण ढहाए और नोटिस भी जारी किए। लगातार हो रही है कार्रवाई से कई प्लॉट पर ठेकेदारों ने काम बंद करवा दिया है। ताकि कार्रवाई से बच सके।

वीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक, वार्ड-सिकरौल में डॉ. शिवेष जायसवाल द्वारा लालपुर आवासीय योजना, प्रथम चरण, डी-212 के ठीक सामने वार्ड-सिकरौल वाराणसी में छत डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मानचित्र भी पास नहीं था। इस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया। मुगलसराय मौजा करवत में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए 18 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। यहां सड़क, नाली को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। नगवां के मौजा-सीर गोवर्धन में काशीपुरम में बिना ले-आउट स्वीकृत अशोक सिंह व कन्हैया यादव आठ बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा नगवां वार्ड में गायत्री नगर/ मारुति नगर कॉलोनी में जगनारायण व राज नाथ अवैध निर्माण कर रहे थे उसे सील कर दिया गया। वीरेंद्र यादव बिना मानचित्र पास कराए भूतल का निर्माण कर रहे थे यहां भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। ब्यूरो

नदेसर चौराहे पर चला अभियान

वाराणसी। एसीपी कैंट विदुष सक्सेना के नेतृत्व में शनिवार को नगर निगम की टीम ने नदेसर चौराहे से अंधरा पुल तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नदेसर पुलिस चौकी की ओर जाने वाले मार्ग से वाहनों को हटाया गया। फुटपाथ से कब्जा हटाने में आनाकानी करने वालों का नगर निगम की टीम ने सामान जब्त किया। सड़क किनारे खड़े वाहनों का चालान भी किया गया। चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा कब्जा किया तो मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

भवनों की मरम्मत पर शासन लेगा फैसला

वीडीए बोर्ड की बैठक में स्वीकृति के शासन को भेजा गया प्रस्ताव

वाराणसी। गंगा के उच्चतम बाढ़ बिंदु (एचएफएल) क्षेत्र में पुराने भवनों की मरम्मत की अनुमति के लिए वीडीए ने शासन के पाले में गेंद डाल दी। वीडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद अब शासन इस पर फैसला करेगा। सबसे बड़ी अड़चन हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेश हैं। बगैर उनकी अनुमति किसी भी प्रकार के मरम्मत की औपचारिकता पर सवालिया निशान लग सकते हैं।

वीडीए ने में 200 मीटर दायरे में नया निर्माण न होने का बोर्ड लगाया था। कई जगहों पर सीमांकन किया था। बावजूद इसके वीडीए की नजर में बाढ़ के दौरान अवैध निर्माण बाढ़ के उतरते ही वैध हो जाते हैं। अक्सर एचएफएल में बने मकानों में पानी घुस जाता है। ऐसी स्थिति में जान माल की हानि होती है। नदियों के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देने का प्रावधान किया गया है। इन सब अड़चनों को देखते हुए वीडीए बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद तय किया गया कि इस संबंध में अनुरोध के साथ प्रस्ताव शासन में भेजा जाएगा। वहां से जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उसी अनुसार आगे काम किया जाएगा। यदि अनुमति मिली तो एचएफएल में रहने वाले पौने पांच लाख की आबादी को फायदा होगा। इससे भवन स्वामियों के अलावा मठ, मंदिर, आश्रम, होटल कारोबारियों को फायदा होगा। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि एचएफएल में मरम्मत की अनुमति का प्रस्ताव शासन में भेजा गया है। वहां से मिलने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर ही आगे कदम उठाया जाएगा। ब्यूरो

होटल कारोबारियों को मिलेगी राहत

दरअसल गंगा किनारे से 200 मीटर दायरे में बीते 15 सालों के भीतर 250 से अधिक होटल खुले हैं। होटल कारोबार से जुड़े लोगों को सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। होटल कारोबार से जुड़े लोग पुराने भवनों को खरीदकर उसे होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला बना रहे हैं। इसमें कोई मरम्मत कराने के लिए काफी अड़चन होती है। यदि शासन से अनुमति मिली तो होटल कारोबार को पंख लग जाएंगे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 07.07.2024

अवैध निर्माण के खिलाफ वीडीए का अभियान

जनसंदेश न्यूज

सील की कार्रवाई

नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रखने पर लिया ऐक्शन

वाराणसी। अवैध निर्माण को लेकर वीडीए इन दिनों ऐक्शन है। शहर में अभियान चलाकर जांच कर रही है और निर्माणकर्ता को नोटिस दे रही है और सख्त कारवाई करते हुए ऐसे मकान को सील भी कर रही है। इसको लेकर वीडीए की टीम शनिवार को अचानक सिकरौल वार्ड में पहुंची, जहां लालपुर आवासीय योजना के प्रथम चरणके ठीक सामने स्थित देवपुरम कालोनी के पास स्थित डा. शिवेष जायसवाल को नोटिस दिये जाने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखे जाने को देखा और पूछताछ की। इस दौरान जोनल अधिकारी की नेतृत्व में पहुंची टीम ने अनाधिकृत भवन को सील किया,वहीं उसे पुलिस अभिरक्षा में निगरानी रखने हेतु सौंप भी दिया। इस अवसर पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश अवर भियन्ता अतुल मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे।

जनवार्ता–दि0 07.07.2024

वीडीए फुल फॉर्म में: अवैध निर्माण करने वालों की शामत

ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप, शहर से गांव तक दौड़े दस्ते, सत्ता पक्ष को भी नहीं बक्शा, वीसी और सचिव ने संभाली है कमान

वाराणसी (जनवार्ता)। अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्यवाही फुल फॉर्म में है। विकास प्राधिकरण द्वारा भाजपा के बड़े नेताओं को भी नहीं बक्शा जा रहा है। उपाध्यक्ष और सचिव ने अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान की कमान अपने हाथों में ले रखी है और अधीनस्थों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।

जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत डॉ शिवेष जायसवाल द्वारा लालपुर आवासीय योजना, प्रथम चरण, डी-212 के ठीक सामने (देवपुरम कालोनी से पहले) वार्ड-सिकरौल में बी+जी का छत डाल कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पर लगातार कार्य जारी रखने पर आज स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में निगरानी हेतु सौंप दिया गया है। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश अवर अभियन्ता अतुल मिश्रा मौजूद रहे। जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा मुगलसराय चन्दौली में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा लगभग 18 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार,अवर अभियन्ता विजय सिंह व पीएन दुबे व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

शनिवार को अवैध बने भवन को सील करते वीडीए कर्मचारी, अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करती जेसीबी।

वीडीए वीसी ने जन मानस से अपील की है कि वीडीए से ले आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा वार्ड-नगवां, सीर गोवर्धन में कशीपुरम में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अशोक सिंह एवं कन्हैया यादव वगैरह द्वारा लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग को पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराते हुए साइन बोर्ड लगाया गया तथा स्थल को थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। निर्माणकर्ता के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर के सिंह व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे। नगवां वार्ड के अंतर्गत गायत्री नगर/ मारुति नगर कॉलोनी में जगनारायण एवं राज नाथ द्वारा लगभग 25 गुणे 40 फीट में भूतल पर प्रारंभ किए गए अनधिकृत निर्माण को सील कर थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। उक्त के क्षेत्र के अतिरिक्त वीरेंद्र यादव द्वारा मारुति नगर कॉलोनी वार्ड नगवां में लगभग 40 गुणे 60 फीट में भूतल पर अनाधिकृत रूप से किये जा रहे शटरिंग के कार्य को बंद कराते हुए स्थल को सील कर दिया गया। जगनारायण एवं राज नाथ द्वारा लगभग 25 गुणे 40 फीट में भूतल पर प्रारंभ किए गए अनधिकृत निर्माण को सील कर थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 07.07.2024

अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण के विरूद्ध वाविप्रा ने किया ध्वस्तीकरण व सीलबन्दी

वाराणसी। वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा 06.जुलाई को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण व अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-नगवां, मौजा-सीर गोवार्दन मे कशीपुरम मे बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अशोक सिंह एवं कन्हैया यादव वगैरह द्वारा लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 06 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराते हुए अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया तथा स्थल को थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा मे दिया गया तथा निर्माणकर्ता पर बिना ले0आउट पास कराए निर्माण करने पर एफआईआर भी दर्ज किया गयात मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर0 के0 सिंह व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे। उक्त के अतिरिक्त नगवां वार्ड के अंतर्गत गायत्री नगर/ मारुति नगर कॉलोनी मे श्री जगनारायण एवं राज नाथ द्वारा लगभग 25̊40 फीट मे भूतल पर प्रारंभ किए गए अनधिकृत निर्माण को सील कर थाना लंका की पुलिस अभीरक्षा मे दिया गया। इसी क्रम में वीरेंद्र यादव पुत्र रामराज यादव द्वारा मारुति नगर कॉलोनी वार्ड नगवां मे लगभग 40̊ 60 फीट मे भूतल पर अनाधिकृत रूप से किये जा रहे शटरिंग के कार्य को बंद कराते हुए स्थल को सील कर थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा मे दिया गया। सीलादेश के क्रम मे मारुति नगर कॉलोनी वार्ड नगवां मे श्रीमती रीमा सिंह द्वारा पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर किए जा रहे निर्माण कार्य को बंद करते हुए स्थल को सील कर थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा मे दिया गया। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाविप्रा द्वारा सील किया गया अवैध निर्माण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत डॉ0 शिवेष जायसवाल द्वारा लालपुर आवासीय योजना, प्रथम चरण, डी-212 के ठीक सामरने (देवपुरम कालोनी से पहले) वार्ड-सिकरौल वाराणसी में बीःजी का छत डाल कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। उक्त अनिधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत उक्त अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर 06 जुलाई को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है। इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश अवर भियन्ता अतुल मिश्रा मौजूद रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

परफेक्ट मिशन–दि0 07.07.2024

विकास प्राधिकरण से होने वाले विकास कार्यों का बन रहा इस्टीमेट

चिरईगांव (परफेक्ट मिशन)। विकास खण्ड के विकास प्राधिकरण सीमा में शामिल गांवों में प्राधिकरण की तरफ से दस-दस लाख रुपये के विकास कार्य कराने का प्रस्ताव है। उसी क्रम में शनिवार को ब्लॉक मुख्यालय पर विकास कार्यों के प्राक्कलन बनाये जा रहे थे। एडीओ पंचायत चिरईगांव कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी 26 गांवों में विकास कार्यों का प्राक्कलन तैयार हुआ है।यह मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा। कराये जाने वाले विकास कार्यों में प्रमुख रूप से नाली, इण्टरलाकिंग, विद्यालय, पंचायत भवन आदि कार्य शामिल है।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 07.07.2024

वीडीए की टीम ने कई स्थानों पर अवैध निर्माण को किया सील और ध्वस्त

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण व अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही को अंजाम दिया। प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-नगवां, मौजा-सीर गोवार्दन में कशीपुरम में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अशोक सिंह एवं कन्हैया यादव वगैरह द्वारा लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराते हुए अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया तथा स्थल को थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया तथा निर्माणकर्ता पर बिना ले0आउट पास कराए निर्माण करने पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर0 के0 सिंह व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे। उक्त के अतिरिक्त नगवां वार्ड के अंतर्गत गायत्री नगर/ मारुति नगर कॉलोनी में श्री जगनारायण एवं राज नाथ द्वारा लगभग 25×40 फीट में भूतल पर प्रारंभ किए गए अनधिकृत निर्माण को सील कर थाना लंका की पुलिस अभीरक्षा में दिया गया। उक्त के क्षेत्र के अतिरिक्त वीरेंद्र यादव पुत्र रामराज यादव द्वारा मारुति नगर कॉलोनी वार्ड नगवां में लगभग 40 × 60 फीट में भूतल पर अनाधिकृत रूप से किये जा रहे शटरिंग के कार्य को बंद कराते हुए स्थल को सील कर थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। सीलादेश के क्रम में मारुति नगर कॉलोनी वार्ड नगवां में रीमा सिंह द्वारा पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर किए जा रहे निर्माण कार्य को बंद करते हुए स्थल को सील कर थाना लंका की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।